उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–3610/71–1–10–जी–92/2010
लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध सामान्य सर्जरी, ई0एन0टी0 तथा पैथालॉजी विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–425 (III)/34/सेवा–8/2009–10, दिनॉक 30.11.2010, संख्या–408(II)/17/सेवा–8/2009–10, दिनॉक 01–12–2010 तथा पत्र संख्या–416 (IV)/25/सेवा–8/2009–10, दिनॉक 03–12–2010 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 03 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 5400/– में प्रवक्ता के पद पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/वेतनमान के अनुरूप समय–समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबंधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होंगा।

(5) उक्त नियुक्तियॉ उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम–18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) इन अभ्यर्थियों का यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण–पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

(5) चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण–पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण–पत्र।